न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/2 /18	04.01.2018	14.06.2018

उनवान

1. रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव निवासी ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. कमला पत्नी प्रभूदयाल
2. प्रभूदयाल पुत्र हरला जातियान खटीक निवासियान जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1033/376 रकबा 0.64 हैक्ट0 तरफ उत्तर वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी पूर्व में मिन वादी व मिन वादी की बहिन रेशम की 1/2–1/2 हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मिन वादी की बहिन रेशम ने अपने 1/2 हिस्सा यानि रकबा 0.63 हैक्ट0 का बेचान प्रतिवादी सं0 1 को कर दिया था तथा मौके पर 1/2 हिस्सा यानि रकबा 0.63 हैक्ट0 पर कब्जा दिया था। अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई और नवम्बर 2017 में जब प्रतिवादीगण ने गेँहू बोये तो वादी की डोल को काटकर अन्दर खेत में करीब 0.20 हैक्ट0 जमीन को जबरन लटठ् के बल पर कब्जा करने की नियत से जोतकर बो दिया और वादी की करीब 0.20 हैक्ट0 आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कानूनन कोई हक हांसिल नही है। प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के शख्स है जो वादी की आराजी जबरन लठ् के बल पर कब्जा जमाना चाहते है। तथा वादी को जबरन बेदखल करना चाहते है जिसका उन्हें कोई हक हांसिल नही है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री इस कदर सादिर फरमाई जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1033/376 रकबा 0.64 हैक्ट0 तरफ उत्तर वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में से वादी के हिस्से की आराजी में से 0.20

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

हैक्ट0 आराजी जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा किया है उसको प्रार्थी को वापिस दिलाया जावे। तथा उक्त आराजी की मेडबन्दी कराई जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में दिनांक 14.06.2018 को पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पैमाईश किया जाना न्यायोचित है।

वादी का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1033/376 रकबा 0.64 हैक्ट0 तरफ उत्तर वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार रामगढ नियमानुसार पैमाईश करे, दोनों पक्षकारान का रकबा बाद पैमाईश पूरा करे। यदि रकबा अधिक है तो अतिक्रमण से मुक्त करावें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मालपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर)
पीठासीन अधिकारी :— श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/2 /18	04.01.2018	14.06.2018

उनवान

1. रूब्बड पुत्र हरबक्श जाति जाटव निवासी ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................वादी

बनाम

1. कमला पत्नी प्रभूदयाल
2. प्रभूदयाल पुत्र हरला जातियान खटीक निवासियान जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1033/376 रकबा 0.64 हैक्ट0 तरफ उत्तर वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार रामगढ नियमानुसार पैमाईश करे, दोनों पक्षकारान का रकबा बाद पैमाईश पूरा करे। यदि रकबा अधिक है तो अतिक्रमण से मुक्त करावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)